

जानलेवा हमले में वांछित गिरोह का 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.12.2025 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नन्दौर चट्टी के पास से मु0अ0स0 133/2025 धारा 3(5),117(2),352,115(2),109,103(1) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना रामपुर जनपद से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त सुबोध सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम हृदयपट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र लगभग 26 वर्ष को गिरफ्तार चालान न्यायालय किया गया

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले दिनांक 25.11.2025 को समीर उर्फ मन्टू पुत्र स्व0 रामअवध अपने घर से एक कार्यक्रम में संम्मिलित होने के लिए गया था लौटते समय रास्ते में उसे कुछ लोगों द्वारा घेरकर मारा पीटकर बेहोस कर दिया गया था । जिसका 23 दिन बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी ।

अभियुक्त का विवरण-

- सुबोध सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम हृदयपट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र लगभग 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0 133/2025 धारा 3(5),117(2),352,115(2),109,103(1) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना रामपुर

अपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 133/2025 धारा 3 (5), 117(2),352,115(2),109,103 (1) बीएनएस व 3 (2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना रामपुर जनपद मऊ
- मु0अ0सं0 234/2025 बारा 110/115 (2)/117 (2)/127(2)/3(5)/307/317(2)/351(2)/352 थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

3. मु0अ0सं0 297/24 धारा 115 (2)/3(5)/351(2)/352 बीएनएस व 3 (1) द एससी एसटी
एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रोहन राकेश सिंह, थानाध्यक्ष, थाना रामपुर, मऊ।
2. हे0का0 प्रमोद यादव, थाना रामपुर, मऊ।
3. का0 रणजीत यादव थाना रामपुर, मऊ।

चोरी का सफल अनावरण 03 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की गयी (ट्रैक्टर की ट्राली) व घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर बरामद –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा दिनांक 21.12.2025 देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुख्य बिर की सूचना पर पर खेदुपरा ईदगाँह के पास से मु0अ0स0 265/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद से संबंधित 03 नफर चोर अभियुक्तगण 1. सुनील यादव पुत्र बलिराज यादव निवासी तकिया शहबादला थाना घोसी जनपद मऊ हालमुकाम कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष 2. पिंटू कनौजिया उर्फ मिट्टी पुत्र राजेन्द्र कनौजिया निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष 3. संजय यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी सरया भारती बृन्दावन थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 24 को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी गयी ट्रैक्टर टाली तथा घटना में प्रयुक्त वाहन (ट्रैक्टर) बरामद कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुनील यादव पुत्र बलिराज यादव निवासी तकिया शहबादला थाना घोसी जनपद मऊ हालमुकाम कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष
2. पिटू कनौजिया उर्फ मिट्टी पुत्र राजेन्द्र कनौजिया निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष

3. संजय यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी सरया भारती बृन्दावन थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 24

पंजीकृत अभियोग –

1. मु.अ.सं. 265/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

घटना का संक्षिप्त विवरण –

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.12.2025 को आवेदक सुभाष यादव पुत्र स्व खरपत्तू यादव सा रामपुर चकिया थाना दक्षिण टोल द्वारा अपने घर के सामने से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर ट्राली के चोरी कर लेने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया थे जिसके आधार पर दिनांक 20.12.2025 को मु.अ.सं. 265/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त को आज दिनांक 21.12. समय 12.05 बजे चोरी गयी ट्रैक्टर ट्राली तथा प्रयुक्त वाहन ट्रैक्टर को बरामद कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों से पूछताछ में मे बताया गया कि अभियुक्तगण चोरी की थाना हलधरपुर थाना क्षेत्र में छिपा दिया था आज इसको लेकर घर जा रहे था जिसके पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद चोरी की ट्राली कलर पीला व एक अदद ट्रैक्टर पावर ट्रैक कलर नीला बिना नंबर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 अरुण कुमार सिंह, थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
- उ0नि0 अरविन्द सिंह, चौकी प्रभारी बेलवाघाट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
- उ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
- हे0का0 इमरोज खान, थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
- हे0का0 राजेन्द्र सिंह बादल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
- का0 सौरभ यादव, थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
- का0 अंकित कुमार यादव, थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

8. का० बृन्द कुमार चौधरी थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
9. का० अवधेश कुमार थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्येक्षण में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देख भाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21.12.2025 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शिव चन्द पुत्र रामाज्ञा निवासी भदेसरा थाना दक्षिण टोला तथा थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अमित कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी हाफिजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

दबाव में पचास हजार के इनामिया का आत्मसमर्पण, हत्या की घटना में प्रयुक्त आलाकत्तल बरामद -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के स्पष्ट निर्देशानुसार जनपद में घटित गंभीर अपराधों में फरार चल रहे वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष अभियान टीम बनाकर निरंतर चलाया जा रहा था, इस अभियान के अंतर्गत जनपद पुलिस द्वारा प्रभावी रणनीति, सतत दबिश एवं तकनीकी-मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से अपराधियों व उनके परिवार व सहयोगियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उक्त अभियान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्येक्षण में संचालित किया जा रहा था। इसी क्रम में मु०अ०सं० 133/25, धारा 3(5), 117(2), 352, 115(2), 103(1) बी. एन. एस. एवं 3(2)(V) (A) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना रामपुर, जनपद मऊ एवम् मु.अ.सं. 314/25 धारा 103 (1) बी.एन.एस. थाना उभांव जनपद बलिया से संबंधित अत्यंत नृशंस एवं जघन्य हत्या की घटना में वांछित एवं मु०अ०सं० 133/25, थाना रामपुर, जनपद मऊ उपरोक्त की घटना में ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राबिन सिंह पुत्र मनोज सिंह, निवासी चकसहमारूफ उर्फ जलपुरवा, पोस्ट बहादुरपुर, धाना मधुबन, जनपद मऊ, जो घटना के उपरांत लगातार फरार चल रहा था, घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विशेष पुलिस टीमें गठित की गईं अभियुक्त

के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई, उसके आवागमन, संपर्क सूत्रों तथा परिजनों पर सतत निगरानी रखी गई। तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अभियुक्त पर लगातार दबाव बनाया गया। पुलिस की इस निरंतर एवं सघन कार्यवाही के कारण अभियुक्त के लिए छिपे रहना संभव नहीं रह गया। पुलिस के बढ़ते दबाव, गिरफ्तारी की प्रबल संभावना तथा कानून से बचने का कोई विकल्प न देख अभियुक्त राबिन सिंह द्वारा दिनांक 20.12.2025 को अपने परिवारीजनों, अधिवक्ता एवम् पत्रकार गण के साथ शाम में थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया। यह आत्मसमर्पण पुलिस की प्रभावी रणनीति, निरंतर दबाव एवं त्वरित कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है।

आत्मसमर्पण के पश्चात अभियुक्त से गहन, सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा हत्या की घटना में प्रयुक्त हथियार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसके आधार पर आज दिनांक 21.12.2025 को क्षेत्राधिकारी मधुबन, जनपद मऊ श्री अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रामपुर, जनपद मऊ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर मु०अ०सं० 133/25, धारा 3(5), 117(2), 352, 115(2), 103(1) बी.एन.एस. एवं 3(2)(V)(A) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना रामपुर, जनपद मऊ की जघन्य हत्या में प्रयुक्त आला-ए-कत्ल एक हाकी और एक डण्डा की अभियुक्त राबिन सिंह के निशानदेही पर मयारी कल्याणपुर गांव के पास सेदिनांक 21.12.2025 सड़क के किनारे पेड़ के नीचे से सफल बरामदगी की गई है। उक्त आला ए-कत्ल की बरामदगी विवेचना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे अभियोजन की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है। बरामद आला ए-कत्ल को विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत कब्जे में लिया गया है व अभियुक्त राबिन सिंह के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण –

- आला कत्ल - एक हाकी एक डण्डा जो घटना में प्रयुक्त किया था बरामद

स्थान - मयारी कल्याणपुर गांव के पास से सड़क के किनारे पेड़ के नीचे से दिनांक 21.12.2025 समय 10.00 बजे

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राविन सिंह उपरोक्त –

1. मु.अ.सं. 38/18 धारा 392/411 भादवि थाना भीमपुरा जनपद बलिया
2. मु.अ.सं. 119/18 धारा 2/3 (1) उ.प्र. गैगेस्टर एक्ट थाना भीमपुरा जनपद बलिया
3. मु.अ.सं. 168/19 थारा 3/25 आम्स एक्ट थाना उभांव जनपद बलिया
4. मु.अ.सं. 312/24 धारा 115(2), 3(5), 333, 351(2), 352 बी.एन.एस. थाना मधुबन जनपद मऊ
5. मु.अ.सं. 73/25 धारा 109, 352 बी.एन.एस. व 3 (2) (v) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना रामपुर जनपद मऊ
6. मु.अ.सं. 133/25 धारा 3(5)/117(2)/352/115(2)/103(1) बी.एन.एस. एवं 3(2) (1 एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना रामपुर, जनपद मऊ
7. मु.अ.सं. 314/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. थाना उभांव जनपद बलिया